न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2022/102
मुकदमा नम्बर 15/2022

दावा दर्ज दिनांक–01.02.2022

हणमान पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. चूकी देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी छतुराम सानेल जाति मेघवाल निवासी सीगडा मण्डावा तहसील मण्डावा, जिला झुझुंनू
3. केशरी देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी मानाराम सानेल जाति मेघवाल निवासी सीगडा मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुझुंनू
4. भगवानी पुत्री रामेश्वर पत्नी कुंदन बरवड जाति मेघवाल निवासी भोडकी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुझुंनू
5. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा कुमावास नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ,जिला झुझुंनू
7. सीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री आरिफ खान, श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रतिवादी सं. 1 व 4 :– श्री शिव कुमार बंका
वकील प्रतिवादी सं.5,7:–एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी सं. 6 :– पैरो. राज.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 20.01.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम डूमरा पटवार हल्का डूमरा की सरहद में स्थित नई खाता सं. 631 पुराना 542 के भूमि खसरा नं. 493 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 939 रकबा 6.95 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 7.03 है0 में सुरजी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर का नाम मृत्यु होने से हजफ किया जावें तथा उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि में सुरजी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर ने प्रतिवादी सं. 6 से ऋण लिया था उसके लिये प्रतिवादी सं. 1 रामस्वरूप को उत्तरदायी ठहराया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 की और से वकील श्री शिवकुमार बंका उपस्थित हो जवाब दावा तथा प्रतिवादी सं. 1 की और से काउन्टर कलेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही रही। प्रतिवादी सं. 6 की और से पैरो. राज. उपस्थित।

प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 द्वारा निम्न प्रकार से जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया:– वाद वादी में सीता देवी पुत्री रामेश्वर लाल को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। वाद वादी में कोई वादकरण पैदा नही हुआ इसलिये खारिज योग्य है। वाद वादी आवश्यक पक्षकार के अभाव मे खारिज योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 अपनी माताजी की मौखिक वसीयत के अनुसार अपने माताजी के 1/3 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

मालिक खातेदार काश्तकार है। इसलिये काउन्टर क्लेम बाबत् घोषणार्थ का पेश है। इसलिये खातेदारी श्रीमति सुरजी देवी पत्नी रामेश्वर लाल की जगह काउन्टर क्लेमकर्ता के नाम दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादी को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की उसकी माताजी की मौखिक वसियत मे मिली उसके 1/3 हिस्से की भूमि तथा इस प्रकार से काउन्टर क्लेमकर्ता के 2/3 हिस्से की भूमि की कब्जे कास्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार से काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारीज किया जाकर काउन्टर क्लेमकर्ता का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे तथा उसकी माताजी द्वारा मौखिक वसीयत में दिये गये 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।वादी को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की क्लेमकर्ता के 2/3 हिस्से की भूमि पर कास्त मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे।

वाद वादी मे सुनवाई करते हुये 151 सीपीसी के तहत प्रतिवादी सं. 7 सीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा को पक्षकार संयाजित किया गया।

वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में बहस पेश करते हुये निवेदन किया कि चूकी प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादीगण की माता सुरजी देवी की फौत दिनांक 14.12.2021 को हो चूकी है,यदि प्रतिवादी सं. 7 सीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा को शामिल करते हुये वादी एंव प्रतिवादी 1 लगा. 4,7 के मध्य वादग्रस्त भूमि के खातेदारी की घोषणा 1/6–1/6 हिस्सा प्रत्येक कि,की जाती है तो वादी का वाद स्वीकार किया जावे। वैसे भी वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4,7 की माताजी का स्वर्गवास हो चूका है और उनके स्वर्गवास के उपरान्त फौती नमान्तकरण उसके वारिसानों की जॉच कर भरा जा सकता है। प्रतिवादीगण की 1/6–1/6 हिस्से की घोषणा की सहमति के पश्चात् इस प्रकरण में अन्य कोई विवाद के बिन्दू शेष नही रहते है और न ही अन्य कोई वादकारण बचता है।

वकील वादी ने अपनी बहस पेश करते हुये कोई एतराज/उजर व्यक्त नही किया।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। चूकी प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादीगण की माता सुरजी देवी की फौत दिनांक 14.12.2021 को हो चूकी है, प्रतिवादी सं. 7 सीता देवी पुत्री रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी डूमरा को पक्षकार संयोजित किया जा चूका है तथा स्व. रामेश्वर की पुत्री होने के कारण उसके वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा होने मे पक्षकारों को कोई एतराज/उजर भी नही है। वैसे भी वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4,7 की माताजी का स्वर्गवास के उपरान्त फौती नमान्तकरण उसके वारिसानों की जॉच कर भरा जा सकता है। पक्षकारों मे अब अन्य कोई विवाद का बिन्दू व वादकारण नही बचता है और जब पक्षकारों मे कोई विवाद या वादकारण नही है तो दावे व प्रतिदावे को चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। इसलिये वाद वादी व क्लेमकर्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी व क्लेमकर्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) इसी स्तर अन्य कोई विवाद का बिन्दू व वादकारण नही रहने तथा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि,वादग्रस्त भूमि में मृतक खातेदार सुरजी देवी के वारिसानों की जॉच करते हुये फौती नामान्तकरण भरे जाने की कार्यवाही की जावे। आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2022/102
मुकदमा नम्बर 15/2022

दावा दर्ज दिनांक–01.02.2022

(हणमान बनाम रामस्वरूप)
<u>दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जंय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी व क्लेमकर्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम (प्रतिदावा) इसी स्तर अन्य कोई विवाद का बिन्दू व वादकारण नही रहने तथा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है तथा तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि,वादग्रस्त भूमि में मृतक खातेदार सुरजी देवी के वारिसानों की जॉच करते हुये फौती नामान्तकरण भरे जाने की कार्यवाही की जावे। आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–........ .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 20 माह 01 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00